

संख्या 21034/66/2009-रा0भा0 (प्रशि0)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 04 अप्रैल, 2012

कार्यालय जापन

विषय:-हिंदी शिक्षण योजना के अंशकालिक हिंदी प्राध्यापकों को देय मानदेय की दरों में संशोधन के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 सितंबर, 2005 के कार्यालय जापन संख्या:- 21034/21/2005-रा.भा.(प्रशि.) का हवाला देते हुए मुझे हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अंशकालिक हिंदी प्राध्यापकों को निम्नलिखित संशोधित दरों पर मानदेय देने के लिए मंजूरी देने का निदेश हुआ है:-

| क्र. सं. | विवरण | दिनांक 30.09.2005 को जारी आदेश के तहत स्वीकृत मानदेय | संशोधित विवरण | संशोधित स्वीकृत मानदेय |
|----------|---|--|--|--|
| 1 | <p><u>एकांतर दिवस की कक्षाओं के लिए मानदेय / पारिश्रमिक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए) जहां प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 तक है।</p> <p>यदि प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए ।</p> | <p>540/- प्रतिमाह</p> <p>36/- प्रतिमाह</p> | <p><u>एकांतर दिवस की कक्षाओं के लिए - मानदेय / पारिश्रमिक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए) जहां प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति कम से कम 10 तक है।</p> <p>यदि प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए ।</p> | <p>1080/- प्रतिमाह</p> <p>70/- प्रतिमाह</p> |
| 2 | <p><u>प्रति दिन की कक्षाओं के लिए - मानदेय/पारिश्रमिक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए) जहां प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 तक है।</p> <p>यदि प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए।</p> | <p>700/- प्रतिमाह</p> <p>45/- प्रतिमाह</p> | <p><u>प्रति दिन की कक्षाओं के लिए-</u> मानदेय/ पारिश्रमिक (केवल सरकारी सेवकों के लिए) जहां प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति कम से कम 10 तक है।</p> <p>यदि प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए।</p> | <p>1400/- रु. प्रतिमाह</p> <p>90/-रु. प्रतिमाह</p> |


नोट:- पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, लेह लद्दाख, अण्डमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन व दीव जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षार्थी नहीं मिलते, वहां पर प्रशिक्षार्थियों की सीमा कम से कम 5 निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में इन केंद्रों पर कार्यरत अंशकालिक प्राध्यापकों को एकांतर दिवस की कक्षाओं के लिए 1080/- एवं प्रतिदिन की कक्षाओं के लिए 1400/-रु. प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

2. मानदेय के संबंध में विभाग के पत्र संख्या-12013/24/83-रा.भा.(ई.) दिनांक 05.08.1985 में दी गई शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

3. यह कार्यालय जापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी डायरी संख्या-65243/JS(Fin./Pers) //2011 दिनांक 15.12.2011 के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन से जारी किया गया है ।

4. मानदेय की ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी ।

5. सरकारी सेवकों के लिए मानदेय की निर्धारित सीमा सभी प्रकार के मानदेय मिलाकर कुल रूपए 5,000/- (रूपए पांच हजार मात्र) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी ।


(सूरज भान)

उप सचिव (प्रशि.)

सेवा में,

1. सभी महालेखाकार ।
2. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय) , गृह मंत्रालय, सी - 1, हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली.
3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
4. हिंदी शिक्षण योजना के सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी ।
5. सभी उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी डायरी संख्या 65243/JS(Fin./Pers) //2011 दिनांक 15.12.2011 के संदर्भ में ।
7. गार्ड फाईल ।